

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 20-20/2005/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 24/07/09

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय - महिला उद्यमी की परिभाषा ।

सन्दर्भ :- उद्योग संचालनालय का ज्ञाप क्रमांक 44 विसहा (2) 05/353, दिनांक 04/03/09.

कृपया उक्त ज्ञाप का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उद्योगों के लिये विभागीय अनुदान/सहायता योजनाओं हेतु महिला उद्यमी की परिभाषा को भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक 33, दिनांक 14/08/1991 अनुसार संशोधित करने हेतु प्रस्ताव किया गया है ।

2. उपरोक्त प्रस्ताव को मान्य करते हुये इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 23/11/06, जिसके द्वारा महिला उद्यमी की परिभाषा जारी की गई थी, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सभी विभागीय योजनाओं के लिये 'महिला उद्यमी' को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :-

"A small scale Industrial Unit/Industry related service or business enterprise, managed by one or more women entrepreneurs in proprietary concerns, or in which she/they individually or jointly have a share capital of not less than 51 % as partners/share-holders/directors of Private Limited Company/Members of Cooperative Society."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एमएसओ सोलंकी)
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20-20/2005/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक /07/09

प्रतिलिपि :-

प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि०/म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०/म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग